भारत सरकार

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-76

उत्तर देने की तारीख 21 जुलाई, 2025

सोमवार,30 आषाढ़ 1947(शक)

महिलाओं को शक्तियाँ प्रदान करने के लिए शिक्षा और प्रशिक्षण तक समुन्नत पहुंच

†76. डॉ. नामदेव किरसान:

क्या कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार इस विचार से सहमत है कि शिक्षा और प्रशिक्षण कार्यक्रमों तक समुन्नत पहुंच से महिलाओं को पारंपरिक रूप से पुरुष-प्रधान उद्योगों में प्रतिस्पर्धा करने के लिए आवश्यक कौशल और ज्ञान से शक्तियाँ प्रदान की जा सकेंगी;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा प्रस्तावित पहलों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

उत्तर

कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री जयन्त चौधरी)

(क) से (ग): भारत सरकार कौशल विकास के माध्यम से महिलाओं सहित देश के युवाओं की रोज़गार क्षमता में सुधार लाने के लिए सक्रिय कदम उठा रही है। कौशल भारत मिशन (एसआईएम) के अंतर्गत कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) विभिन्न स्कीमों जैसे कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई), जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस), राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन योजना (एनएपीएस) और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के ज़रिए शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (सीटीएस) के अंतर्गत कौशल विकास केंद्रों के एक व्यापक नेटवर्क के माध्यम से देश भर में महिलाओं सहित समाज के सभी वर्गों को कौशल, पुनःकौशलीकरण और कौशलोन्नयन प्रशिक्षण प्रदान करता है। कौशल भारत मिशन (एसआईएम) का उद्देश्य भारत के युवाओं को भविष्य के लिए तैयार करना और उद्योग से जुडे कौशलों से सुसज्जित करना है।

कौशल विकास कार्यक्रमों में महिलाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए वाहन तथा भोजन और ठहरने पर होने वाले खर्च को पूरा करने के साथ-साथ प्लेसमेंट के बाद बढ़ी हुई सहायता के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। इसके अलावा, पीएमकेवीवाई 4.0 उन परियोजनाओं को प्राथमिकता देता है और उन

पर विशेष ध्यान केंद्रित करता है जो महिलाओं को प्राथमिक लाभार्थी के रूप में महत्व देते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स, खुदरा, स्वास्थ्य सेवा, सौंदर्य और वेलनेस, हस्तशिल्प और परिधान जैसे क्षेत्रों में प्रशिक्षण कार्यक्रम महिलाओं की अधिक भागीदारी को आकर्षित करने के लिए संरचित हैं। कौशल केंद्र और विशेष परियोजनाएं महिलाओं के नामांकन को सक्रिय रूप से प्रोत्साहित करती हैं। परियोजनाओं को स्थानीय कौशल मांगों के साथ संरेखित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिससे ग्रामीण महिलाओं के लिए कौशल विकास योजनाओं में भाग लेने और उससे लाभान्वित होने के अवसर पैदा होते हैं। यह समावेशी दृष्टिकोण देश भर के कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों में महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रतिनिधित्व और लाभ सुनिश्चित करता है। एनएपीएस योजना में भी सेवा क्षेत्र में ट्रेडों (वैकल्पिक ट्रेड) के प्रारम्भ से शिक्षुता में महिलाओं की भागीदारी में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। महिला शिक्षुओं के प्रतिशत में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई जो वर्ष 2024-25 में 22.79 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2025-26 में 25.80% हो गई। जेएसएस स्कीम के अंतर्गत, महिलाओं और अन्य कमजोर वर्गों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है । जेएसएस के अंतर्गत 80 प्रतिशत से अधिक लाभार्थी महिलाएं हैं। इसके अलावा, 19 राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान (एनएसटीआई) और 300 से ज़्यादा आईटीआई विशेष रूप से महिलाओं के लिए हैं। भारत सरकार ने सभी आईटीआई (सरकारी और निजी) में सभी पाठ्यक्रमों में महिला उम्मीदवारों के लिए 30% सीटें आरक्षित करने को मंज़ूरी दी है और ये सीटें प्रत्येक संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सामान्य आरक्षण नीति के आधार पर भरी जा सकती हैं।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (एमओडब्ल्यूसीडी) के सहयोग से एमएसडीई ने नव्या - युवा किशोरियों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण के माध्यम से आकांक्षाओं का पोषण नामक एक संयुक्त पहल शुरू की है। नव्या एक प्रायोगिक पहल है जिसका उद्देश्य 16-18 वर्ष की आयु की किशोर लड़कियों जिन्हें कक्षा 10 की न्यूनतम योग्यता प्राप्त है, को मुख्य रूप से गैर-पारंपरिक नौकरी-भूमिकाओं में व्यावसायिक प्रशिक्षण से सुसज्जित करना है। इसके अलावा, एमएसडीई ने नीति आयोग के महिला उद्यमशीलता मंच के सहयोग से, फरवरी 2025 में असम, मेघालय, मिजोरम के उत्तर-पूर्वी राज्यों तथा उत्तर प्रदेश और तेलंगाना में भी - एक महिला उद्यमशीलता कार्यक्रम- स्वावलंबिनी शुरू किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य उद्यमशीलता जागरूकता प्रशिक्षण (ईएपी) और उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम (ईडीपी) के माध्यम से महिला छात्रों के बीच एक उद्यमी मानसिकता विकसित करना है। राष्ट्रीय उद्यमशीलता और लघु व्यवसाय विकास संस्थान (निस्बड), नोएडा और भारतीय उद्यमिता संस्थान (आईआईई), गुवाहाटी इस कार्यक्रम के लिए कार्यान्वयन एजेंसियां हैं।

*****